भंवरी उर्फ बिमलादेवी बनाम सरकार
प्रा.पत्र सं. 93/2020
जीसीएमएस नं. 2020—00253

वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि भंवरीदेवी एवं बिमलदेवी दोनो एक ही महिला के नाम है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा पिण्डिया तहसील जायल के खाता संख्या 184 में वर्णित खसरान में दर्ज नाम भंवरीदेवी के स्थान पर बिमलादेवी खातेदार का नाम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्व प्रसंज्ञान से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत धारा 88, 136 आर.टी.एक्ट का मानते हुये स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम पिण्डिया तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 184 में दर्ज नाम प्रार्थीनी भंवरीदेवी पत्नी महेन्द्रसिंवर जाति जाट साकिन बालाजीनगर तहसील जायल के स्थान पर प्रार्थी बिमलादेवी पत्नी महेन्द्रसिंवर जाति जाट साकिन बालाजीनगर तहसील जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01/11/2021 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

01/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्डअधिकारी एवं
सहायककलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner